संख्या– 39 /यू0नि0/पी0जी0 कैम्प/सा0–1682/2024–25, दिनांक–14.10.2024

यू0पी0 आयुष पी0जी0 काउंसिलिंग–2024 के द्वितीय चक्र की ऑनलाइन काउंसिलिंग की समय–सारणी।

उत्तर प्रदेश राज्य के राजकीय/निजी क्षेत्र के आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी मेडिकल कालेजों/निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक संस्थानों के पी0जी0 पाठयक्रमों (एम0डी0/एम0एस0) में प्रवेश हेतु द्वितीय चक्र की ऑनलाइन काउंसिलिंग की समय–सारणी निम्नवत् है।

क्र0 स0	विवरण	दिनॉक/समय	कुल दिवस
1	ऑनलाइन पंजीकरण, पंजीकरण शुल्क एवं अभिलेख अपलोड करने की तिथि	दिनॉक–21/10/2024 (पूर्वाह्न 11:00 बजे) से दिनॉक–22/10/2024 (सांय 05:00 बजे) तक	02
2	धरोहर धनराशि जमा करने की तिथि	दिनॉक–21/10/2024 से दिनांक–22/10/2024 (रात्रि 11:59 बजे तक)	02
3	आनलाइन अभिलेखों का सत्यापन	दिनॉक–22/10/2024 से दिनांक–23/10/2024 (अपरान्ह 02:00 बजे तक)	02
4	पंजीकृत अभ्यर्थियों की मेरिट सूची (State Merit List) का प्रकाशन	दिनॉक–23/10/2024 (सांय 05:00 बजे तक)	-
5	ऑनलाइन **च्वाईस फिलिंग** (वरीयता विकल्प) भरने एवं सीट लॉक करने की तिथि	दिनॉक–23/10/2024 (सांय 06:00 बजे) से दिनॉक–24/10/2024 (सांय 06:00 बजे तक)	02
6	अनंतिम सीट आवंटन सूची/सूचियों का प्रकाशन	दिनॉक–25/10/2024	01
7	नोडल सेन्टर पर अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का सत्यापन	दिनॉक–26/10/2024 आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी विधा के समस्त अभ्यर्थी (प्रातः 09:30 बजे से सायं 05:00 बजे तक)	01
8	आवंटन पत्र डाउनलोड करने एवं आवंटित संस्था में प्रवेश की अन्तिम तिथि	दिनॉक–26/10/2024 से दिनॉक–28/10/2024 (सायं 05:00 बजे तक)	03
9	प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा अपग्रेडेशन हेतु सहमति भरने की अन्तिम तिथि	दिनॉक–26/10/2024 से दिनॉक–28/10/2024 (रात्रि 11:59 बजे तक)	03
10	अपग्रेडेशन परिणाम घोषित करने की तिथि	दिनॉक–29/10/2024	01
11	नोडल सेंटर पर नवीन आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का सत्यापन	दिनांक–30/10/2024 (प्रातः 10:00 बजे से सांय 05:00 तक)	01
12	अपग्रेडेड एवं नवीन आवंटन पत्र डाउनलोड करने एवं आवंटित संस्था में प्रवेश की अन्तिम तिथि	दिनॉक–30/10/2024 से 5/11/2024 (सायं 05:00 बजे तक) अवकाश की तिथियों को छोड़कर	03

- काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अधिकृत वेबसाइट–www.upayushcounseling.upsdc.gov.in पर दिये गये लिंक पर लॉगइन करें तथा अद्यतन सूचनाओं की जानकारी हेतु समय–समय पर उक्त वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

क्रमशः....................2

- कृपया यू0पी0 आयुष पी0जी0 काउंसिलिंग 2024–25 के सम्बन्ध में अतिरिक्त जानकारी एवं सहायता हेतु ई–मेल आई0डी0–upayushpgcounselling2022@gmail.com अथवा हेल्पलाईन नम्बर 8858690886 पर (समय–प्रातः 10:00 बजे सेसायं 05:00 बजे तक) सम्पर्क कर सकते है।
- **अभिलेखों के सत्यापन हेतु नोडल सेण्टर–राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, (यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय) बिजनौर रोड, निकट रमाबाई रैली स्थल लखनऊ।**
- काउंसिलिंग में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पंजीकरण करने से पूर्व शासनादेश एवं विवरण पुस्तिका (Brochure) का भलीभांति अध्ययन कर लें।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने प्रथम चक्र की काउंसिलिंग में पंजीकरण नही कराया था, वह पंजीकरण कराकर प्रतिभाग कर सकते हैं।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से कोई भी सीट आवंटित नही हुई है, द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग हेतु अर्ह होंगे। उन्हे पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नही होगी।
- प्रथम चक्र में प्रवेशित अभ्यर्थी पुनः आवंटन के लिए पुनः च्वाईस फिलिंग कर सकतें हैं। अभ्यर्थी च्वाइस फिलिंग करते समय प्रवेशित सीट का विकल्प द्वितीय चक्र में न भरें। पुनरावटंन में सीट आवंटित हो जाने की दशा में उसकी पूर्व आंवटित सीट रिक्त हो जायेगी तथा उस पर उसका कोई अधिकार नही रहेगा, किन्तु पुनरावंटन न होने की स्थिति में उसकी पूर्व की सीट यथावत बनी रहेगी।
- अन्य पिछड़ा वर्ग–नॉन क्रीमी लेयर (ओ0बी0सी0–एन0सी0एल0) एंव आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग **(ई0डब्ल्यू0एस0)** के आरक्षण हेतु प्रमाण–पत्र **दिनांक–01 अप्रैल, 2024** अथवा उसके बाद कां जारी ही मान्य होगा।
- दिव्यांगजन (पी0डब्लू0डी0) के आरक्षण हेतु आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024–25 हेतु निर्धारित केन्द्रों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे।
- सभी अभ्यर्थियों की **इन्टर्नशिप दिनांक–31.07.2024 तक पूर्ण** हो।
- प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथी कालेजों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उ0प्र0 का मूल निवासी होना एवं उत्तर प्रदेश के संबंधित चिकित्सा पद्धति बोर्ड में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- अभ्यर्थी काउन्सिलिंग से सम्बन्धित अपना आई0डी0, पासवर्ड एवं ओ0टी0पी0 किसी अन्य के साथ साझा न करें।
- नोडल सेन्टर पर अभिलेखों के सत्यापन के समय मूल अभिलेख न होने या अभिलेखों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर अभ्यर्थी का सीट आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। ऐसे अभ्यर्थी सम्बन्धित चक्र के अपग्रेडेशन हेतु पात्र नही होगें।
- अभ्यर्थी को धरोहर धनराशि उसी बैंक खातें में वापस की जायेगी जिस बैंक खाते से धरोहर धनराशि का भुगतान किया गया है। अभ्यर्थी साइबर कैफे या किसी अन्य स्रोत से भुगतान करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें।
- यदि कोई अभ्यर्थी किसी राजकीय सेवा में सेवारत है, तो उसे अपने नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(प्रोफेसर जमाल अख्तर)
निदेशक, यूनानी सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ,
एवं सदस्य सचिव,
यू0पी0 आयुष, पी0जी0 काउंसिलिंग–2024